न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, जैतारण, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील कुमार बिश्नोई, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज हरदेव बनाम सरकार रिविजन याचिका संख्या :— 40 / 2014 (सीआईएस नंबर 172 / 2014)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.26	वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने अवलोकन यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत पत्रावली में जिस आदेश के विरूद्ध रिविजन याचिका प्रस्तुत की गई है, वह प्रकरण को तत्समय अंतरित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली के आदेश दिनांक 14.01.2013 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण को अंतरित किया गया, तत्पश्चात दिनांक 18.05.2013 को उक्त प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण से न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बर को अंतरित किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर के आदेश के विरूद्ध रिविजन याचिका इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बर न्यायालय के अपीलीय एवं रिविजन याचिकाओं की क्षेत्राधिकारिता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बर को है। पूर्व में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जिला ब्यावर के आदेश क्रमांक / सामान्य / 2025 / 2111 दिनांक 31.05.2025 की पालना में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बर के क्षेत्राधिकार की समस्त पत्रावलियां अंतरित कर दी गई थी, परंतु सहवन से पत्रावली मात्र एफआईआर संख्या 286 / 2011, पुलिस थाना जैतारण की होने से अंतरित होने से वंचित रहे गई। अतः उक्त पत्रावली इस न्यायालय से जरिये ट्रांसफर फैसल शुमार होकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बर के न्यायालय में वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 27.05.26 तक प्रेषित की जावे। उभयपक्ष के अधिवक्तागण पक्षकार 27.05.26 को बर न्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश में उपस्थित रहें। आदेश सुनाया। (हस्ताक्षर) 21.05.26 अपर सेशन न्यायाधीश जैतारण, जिला-ब्यावर (राज.)	